

फर्द अहकाम

बनाम बड़ी

नाम न्यायालय

ACEM (CFT) शाहपुर

केस संख्या 185/163/103/16

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/11	आज्ञा उभयपक्ष उपस्थित / प्रतिभाषण पत्र (आज्ञादिनांक 12/11/16) माह 3/5/17 है। पत्रावली माह 8/6/17 को पेश हो।
	3/5/17	आज्ञा उभयपक्ष उपस्थित P.O. माह 3/5/17 है। पत्रावली माह 8/6/17 को पेश हो।
	8/6/17	आज्ञा अतः पत्रावली शब्दों और अपाठक रूप में ही शब्दा-प्रकृत में पेश हुई। पत्रावली का अनुबोधन किया गया। बरीब बड़ी द्वारा बड़ी के अलावा पौधणा खारबारी व श्यामी बियेचाला का पेश किया। बरीब बड़ी द्वारा इतर शरणनामा के आधार पर पौधणा खारबारी खाते हैं। बरीब बड़ी द्वारा बड़ी के कर्षे जायत के सम्बंध में कोई सबूत पेश पेश नहीं हुए। इतर शरणनामा के अनुसार बड़ी गण और उल्लुल बड़े पत्र में भासा गया अनुबोधन खारबारी पौधणा को सुनवाई का शब्द हीमर रही होती है बड़ी को स्थान आपाता के बाद शरण कर अपना अनुबोधन करे, अतः बड़ी पत्र बड़ी द्वारा उल्लुल शरणनामा में सुनवाई का शब्द हीमर रही होती है शरण खारबारी किया जाता है पत्रावली के शब्द शरण हीमर बड़ी के काम हो।
		सहायक कलेक्टर एवं न्यायालय अधिकारी (फारस्ट्रेक) शाहपुरा (जयपुर) जिला